

24.01.18

पत्रावली पेश। अपीलान्तरण मय अधिवक्ता
अनु०। उतरदाता सं. 2 से 4 के वकील उप०।
न्यायालय समय में अपीलान्तरण मय वकील
को एक एक कर तीन बार कावाज लगाई
लेकिन कोई उप० नहीं हुआ। अतः अपीलान्तरण
की अपील अडम टाजरी अडम फरवी में धारा 11
की जाती है। पत्रावली फिलहाल सुधार दी 5।। खिल
फर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन